

पाँच रुपये

FIVE RUPEES

पाँच

FIVE

पाँच रुपये

FIVE RUPEES

न्यायालय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ग्रामिपर के म्य स्थान उज्जैन संभाग उज्जैन म.प्र.
प्र.क्र. २८६३/२००१ अप्रैल

23/3-III/2001

R

प्री श्री श्री श्री अर्जुन
भास्त्र द्वारा, इसके
26-11-2001 का एक
शहर शहर

क्रम
26-11-2001
क्रम

1. हरगोविन्द पिता नारायण
2. लक्ष्मण पिता नारायणसिंह नारायणिंग बसर
परस्ती नारायणसिंह
3. ब्रह्मदत्त कलाश नारायणिंग बसर परस्ती नारायणसिंह
4. नारायणसिंह पिता भानीसिंह आयु तीन
60 वर्ष, घटकाप- कृष्ण, निवासीगण-
ग्राम हीराना तहो शुभालपुर जि० शाजापुर

—अपीलान्ट

विलङ्घ

1. रणजीतसिंह पुत्र दालाजी
2. अरुसिंह 3. रामसिंह 4. मदनसिंह
- पुत्रगण भानीसिंह 5. मुनीबाई पुत्री-
दालाजी, 6. केरीबाई पुत्री दालाजी
सभी निवासीगण ग्राम हीराना तहसील
शुभालपुर जिला शाजापुर — रिस्पाडेन्टान
अपील बनाराजगी निर्णय अपर आयुक्त भवोदय संभाग उज्जैन
के प्रकरण क्रमांक 42/2001 विविध दिन 28-9-2001 से
अतुलान्ट होकर अपील धारा 35 § 48 श० रा०स० के अंतर्गत।

माननीय महोदय,

उपरोक्त प्रकरण में अपीलार्थी की ओर से अन्दर अवधि श्री भानी

की सेवा में प्रस्तुत है :-

1. यह कि अपीलान्ट के द्वारा एक आवेदन पत्र धारा 35 § 38
भू-रा०स० के अंतर्गत दिनांक 26/07/2001 को प्रस्तुत किया
था जिसका निर्णय आपिन्द्रध पोर्ग न्यायालय द्वारा दिनांक 28-9-2001 को
प्रदान किया गया है जिसमें आवेदक के आवेदन पत्र को निरन्तर किया गया है
जिसमें जो तथ्य दर्शाये गए हैं वास्तविक में वह तथ्य नहीं है बल्कि आवेदक
द्वारा आवेदन पत्र में प्रकरण की सम्पूर्ण स्थिति को दर्शाया गया था किन्तु
आधिनस्थ पोर्ग न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर इष्ट

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

१०

106

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2373-तीन/2001

सामने वाला दिनांक

कार्यकालीन तथा आदेश

प्रकारी संवेदनात्मको
आदि के हस्ताक्षर

30-08-2019

आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 22-12-2009 से लगातार अनुपस्थित है, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रुचि नहीं है । अतः यह प्रकरण आवेदक की अरुचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है ।

(महेश्वर चंद्र चौधरी)
सदस्य

4